भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 991

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

सीएसआर निधियां

991. डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदान की गई निधियों का संगठन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इन निधियों का किन-किन क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, अवसंरचना, कौशल विकास आदि में उपयोग किया गया और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्र को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई;
(ग) उपरोक्त क्षेत्रों में इन सीएसआर पहलों का क्या प्रभाव पड़ा है और पूरी हो चुकी और चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी में सीएसआर परियोजनाओं की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2018-19- से 2022-23 तक पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में किया गया सीएसआर व्यय अनुलग्नक-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी-वार डेटा पब्लिक द्वारा देखने के लिए सीएसआर डेटा पोर्टल पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी-वार, राज्य-वार, जिला-वार, विकास क्षेत्र-वार और कंपनियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं सहित एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फ़ाइल किए गए सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े www.csr.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

.........जारी 2/-

(ख) कम्पनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फ़ाइल की गई फाइलिंग के आधार पर पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष) के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में विकास क्षेत्र-वार किया गया सीएसआर व्यय अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) और (घ): कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की औसत सीएसआर बाध्यता वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में एक करोड़ रुपए या उससे अधिक के परिव्यय वाली और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पूर्व पूरी कर ली गई हैं, अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट कंपनी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी। इस प्रकार, प्रभाव मूल्यांकन कंपनी द्वारा किया जाता है और मूल्यांकन की समीक्षा इसके बोर्ड द्वारा की जाती है। सरकार ने जलपाईगुड़ी में सीएसआर परियोजनाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 02.12.2024 लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 991 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में किया गया सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)				
वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
0.03	0.19	1.50	5.48	5.58

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*****

अनुलग्नक - II

दिनांक 02.12.2024 लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 991 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रूपये में)						
क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1.	पशु कल्याण	-	0.05	-	0.02	0.17
2.	शिक्षा	0.02	0.00	0.76	0.36	0.57
3.	पर्यावरणीय स्थिरता	-	-	-	0.09	-
4.	स्वास्थ्य देखभाल	0.00	0.05	0.10	0.92	1.24
5.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	-	-	0.06	0.12	1.50
6.	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	-	-	0.40	0.03	0.10
7.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	-	-	-	0.87	0.69
8.	स्वच्छता	-	-	-	1.52	1.02
9.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	-	-	-	0.22	0.21
10.	अनाथालय की स्थापना	-	-	-	-	0.01
11.	विशेष शिक्षा	-	0.09	0.18	0.09	0.07
12.	व्यावसायिक कौशल	0.00	-	-	0.23	-
13.	महिला सशक्तिकरण	-	-	-	1.00	-
	कुल	0.03	0.19	1.50	5.48	5.58

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

******